बाणगंगा से सुपर कॉरिडोर के लिए बनने वाले मार्ग पर तेजी से चल रहा है काम।

जमीन विवाद में रास्ता रोककर हमला, कई घायल

इन्दौर।

जमीन विवाद के चलते चली आ रही रंजिश में कल आरोपियों ने कई लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

पुराने जमीन विवाद को लेकर लक्ष्मण, संजू उर्फ संजय, जितेंद्र गाली-गलौज करने लगे। गालियां देने से मना किया, तभी मौके पर कमल पिता आशाराम गुर्जर व मानकुंवरबाई पति कमलसिंह गुर्जर निवासी टकरावदा भी आ गए। कमलसिंह गुर्जर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जान से मारने की नीयत से धर्मेंद्र को पीठ पर, जीवन के सिर पर व बगल में बाई तरफ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। लक्ष्मण गुर्जर व जितेंद्र ने डंडे से धर्मेंद्र व जीवन को मारा, जिसके कारण धर्मेंद्र के पैर व जीवन की पीठ व अन्य जगहों पर चोटें लगी हैं। संजू उर्फ संजय ने चाकू से पवन पर हमला कर दिया। इस विवाद में कई लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बस्ती, कॉलोनियों में अपराध बढ़े, व्यापारिक क्षेत्र में घटे

इन्दौर।

शहर में कुछ सालों से ऐसे थाने, जहां बस्ती और कॉलोनियां अधिक हैं, वहां अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं ऐसे थाने, जहां व्यापारिक क्षेत्र है, वहां अपराध घट रहे हैं। आठ थाने ऐसे हैं, जो शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा रहे हैं।

शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद देहात क्षेत्र के थाने अलग हो गए हैं। शहर में 32 थाने हैं। इन पर नजर डालें तो एक बात सामने आ रही है। इनमें से आठ थाने हैं, जहां बस्तियां और रहवासी क्षेत्र हैं, वहां अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं आठ थाने ऐसे हैं, जहां व्यापारिक क्षेत्र अधिक हैं, यहां अपराध कम हो रहे हैं। सबसे अधिक अपराध वाले दो थाने बाणगंगा और लसूड़िया इन आठ थानों में शामिल हैं, जबकि कम अपराध वाले थानों में सबसे कम अपराध सराफा थाने में हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि व्यापारिक क्षेत्र में लोग कम रहते हैं, इस कारण यहां घटनाएं कम होती हैं, जबकि बस्ती और कॉलोनियों में लोग अब ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहां अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर नियंत्रण के लिए इनको तोड़कर नए थाने बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन वह अब तक कागजों में ही है।

ज्यादा अपराध वाले थाने

बाणगंगा थाना अपराध में नंबर वन है। यहां चार माह में 665 केस दर्ज हुए हैं। नंबर दो लसूड़िया है, जहां 556 अपराध दर्ज हुए हैं। भंवरकुआं में 515, चंदन नगर में 470, खजराना में 425, विजय नगर में 340, राजेंद्र नगर में 398 और एरोड्रम में 390 केस अब तक दर्ज हुए हैं। शहर में सबसे अधिक अपराध इन थानों में ही दर्ज हो रहे हैं।

कम अपराध वाले थाने

सराफा थाना सबसे कम अपराध के लिए कई सालों से जाना जाता है। यहां इस साल अब तक 44 केस दर्ज हुए हैं। छोटी ग्वालटोली में 94, कोतवाली में 65, एमजी रोड में 163, मल्हारगंज में 165, छत्रीपुरा में 98, सदर बाजार में 142 और जूनी इंदौर में 187 केस दर्ज हुए हैं।

कुख्यात चोर से लाखों का माल बरामद, साथी की तलाश

इन्दौर।

क्राइम ब्रांच ने उज्जैन के एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार कर राऊ पुलिस को सौंपा है। उससे चोरी का लाखों का माल बरामद हुआ है, जबकि पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है।

क्राइम ब्रांच ने उज्जैन के कुख्यात चोर योगेश माली को गिरफ्तार कर राऊ पुलिस को सौंपा है। बताते हैं कि उसने अपने एक साथी के साथ राऊ थाना क्षेत्र में दो बड़ी चोरियां करना कबूल किया है। पुलिस ने उससे एक चोरी का लाखों का माल बरामद किया है, जबकि बाकी का माल बरामद किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि योगेश का साथी फरार है। उसके मिलने पर एक और चोरी का माल बरामद हो सकता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताते हैं कि ये दोनों कुछ माह से इंदौर में ही अरबिंदो के पीछे एक कॉलोनी में रह रहे थे और दिन में बाइक से निकलते थे और रैकी कर सूने मकानों को निशाना बनाते थे। दोनों उज्जैन के कुख्यात चोर हैं और उनके खिलाफ चोरी के एक दर्जन से अधिक केस उज्जैन के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उज्जैन पुलिस को भी कुछ मामलों में उनकी तलाश थी, जिसके चलते उज्जैन पुलिस भी उनको रिमांड पर ले सकती है।

रेलवे स्टेशन पर स्टूडेंट्स के बीच मारपीट...बिलासपुर जा रहे छात्र को ट्रेन से उतारकर पीटा

इन्दौर।

इंदौर रेलवे स्टेशन पर कल दो छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक छात्र को ट्रेन से उतारकर बुरी तरह पीटा गया, जो इंदौर से अपने घर शहडोल जाने के लिए स्टेशन आया था। जीआरपी थाना प्रभारी संजय शुक्ला के मुताबिक इंदौर प्रेस्टीज कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रहा शहडोल का अभिषेक पिता अरुण राय कल रात इंदौर से शहडोल जाने के लिए बिलासपुर ट्रेन में सवार हो रहा था। इसी बीच उसका एक साथी उत्कर्षसिंह निवासी शहडोल अपने एक अन्य दोस्त के साथ प्लेटफार्म नंबर 6 पर पहुंचा तथा अभिषेक को ट्रेन से नीचे उतार लिया और प्लेटफार्म पर उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि उत्कर्ष भी यहीं एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। दोनों के बीच नोट्स को लेकर एक दिन पहले भी विवाद हुआ था। कल जब आरोपी को पता चला कि अभिषेक घर जा रहा है तो उसने पीछा किया और स्टेशन तक जा पहुंचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर हुई मारपीट की घटना के दौरान कुछ देर के लिए भगदड़ मच गई थी।

कपास की खेती में उगा रहा था गांजा

तस्कर जॉर्डन की गिरफ्तारी के बाद साथी की तलाश में दबिश

इन्दौर।

कॉलेज, होस्टल्स तथा अन्य जगहों पर स्टूडेंट्स को नशीला पदार्थ सप्लाई करने के मामले में इंदौर नारकोटिक्स विंग ने साकेत चौराहे से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो क्षेत्र में पहचान छुपाकर रह रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स विंग ने तस्कर जॉर्डन उर्फ अजय मंडल निवासी बंगाली चौराहा को हिरासत में लिया है। नारकोटिक्स विंग के प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने बताया कि जॉर्डन मनावर में रहने वाले अपने मित्र मनोज मुवेल से गांजा तथा चरस लाकर इंदौर में छात्रों को सप्लाई करता था। मनोज के कई एजेंट इस गोरखधंधे में लगे हैं। पुलिस टीम ने मनोज के ठिकाने और खेत पर छापामार कार्रवाई की थी। इसमें पता चला कि मनावर में मनोज ने कपास की खेती कर रखी है और उसी के बीच में उसने गांजे के पौधे भी लगा रखे थे। पुलिस ने उक्त तस्कर के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। उसकी तलाश की जा रही है। उसके पकड़े जाने पर बड़ा खुलासा हो सकता है।

HDFC BANK

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचें दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जावेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

क्रं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक	निरिक्षण की तिथी एवं समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढाने की राशि	ई-नीलामी की तिथी/समय	बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	**एचडीएफसी बैंक लि., इन्दौर मेसर्स इण्डोलेब्स लिमिटेड** ए.बी. रोड़, पिगडंबर राऊ इन्दौर-453446 **खाता क्रं. 0036279 0001289**	**1. मेसर्स इण्डोलेब्स लिमिटेड** जमानतदार **2. स्व. श्री रमेश लुल्ला** उनके निम्न उल्लेखित क्रं. 3 से 5 तक कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व **3. श्री धीरज लुल्ला** **4. श्री सिद्धार्थ लुल्ला** **5. स्व. श्री मनीष लुल्ला** उनके कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व 5(ए) श्रीमती जेस्मिन लुल्ला 5(बी) कु. तान्या लुल्ला एवं 5 (सी) श्री तनिष्क लुल्ला **6. स्व. श्रीमती मंजू लुल्ला** उनके उपरोक्त उल्लेखित क्रं. 3 से 5 तक कानूनी वारिस साथ ही **(i) श्रीमती प्रिया लुल्ला पति धीरज लुल्ला एवं (ii) श्रीमती अंकिता लुल्ला पति सिद्धार्थ लुल्ला** द्वारा प्रतिनिधित्व	1. सर्वे नं. 51/3, प. हल्का नं. 01, ग्राम-पिगडंबर, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.) पर फेक्ट्री भूमि एवं भवन, जो **श्री रमेश लुल्ला** के नाम से है। 2. 115 त्रिवेणी कॉलोनी, इन्दौर पर आवासीय संपत्ति, जो **स्व. श्रीमती मंजु लुल्ला** के नाम से है।	रु. **15,18,68,780.87** 31/07/2012 को बकाया राशि आगे के ब्याज के साथ ब्याज का समावेश @ 18% प्रतिवर्ष, 01.08.2012 से मासिक के साथ क्रेडिट सुविधाओं के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक, एवं **दिनांक- 25/09/2012**	**21/05/2024 एवं समय- प्रात: 10.00 बजे के बाद**	1. रु. **16,00,00,000/-** रु. **1,60,00,000/-** रु. **5,00,000/-** 2. रु. **2,00,00,000/-** रु. **20,00,000/-** रु. **1,00,000/-**	1. **04/06/2024 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक** 2. **04/06/2024 दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 03 बजे तक**	**01/06/2024 सायं 4 बजे तक**	आशिष रावत, मो.: 9981126266, Ashish.rawat9@hdfcbank.com सुनिल भानुशाली, मो.: 9323176985

बंधक संपत्ति की वास्तविक फोटो

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं.: 57500000904261 खाता का नाम : DFSO TRANSITORY ACCOUNT : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड डाफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर अन्य भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/बकाया करों/मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगीन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/21/22/23/24, श्री मिथिलेश कुमार, मोबाईल : 7080804466 एवं श्री शिबु बाबू मो.: 9891628914,** हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए **उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी** से कार्यालय अवधि (प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों में संपर्क कर सकते है।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं/कानूनी उत्तराधिकारीयों को एतद्वारा नीलामी से 15 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 13.05.2024, स्थान : इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड